जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : एफ–31(30)आर.टी.आई./विविध/13/डी- 1564 दिनांक : 17.4.13

16/40

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपीलों में पारित निर्णयानुसार संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पालना नहीं की जा रही है, अर्थात अपीलाण्ट को अनुरोध पत्र में चाही गई सूचना एवं दस्तावेज संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारीगण के स्तर से निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसके कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपीलार्थी जनसुनवाई के दौरान उपस्थित होकर संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारियों के विरूद्ध निर्णयानुसार सूचना समयावधि में उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत करते हुए वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करते है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत अनुरोध पत्र के चाहे अनुसार सूचना एवं दस्तावेज आवेदक को निर्धारित समयावधि में उपलबध नहीं कराना एवं धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलों में निर्णय के उपरान्त भी नियत समयावधि में सूचना एवं दस्तावेज अपीलाण्ट को उपलब्ध नहीं कराना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में विहित प्रावधानों की अवहेलना एवं गम्भीर लापरवाही तथा कर्तव्यहीनता की श्रेणी में आता है। अतः जयपुर विकास प्राधिकरण के सभी राज्य लोक सूचना अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि :–

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत सूचना एवं दस्तावेज आवेदक को नियत समयावधि में उपलब्ध कराई जावें। यदि प्रकरण किसी अन्य राज्य लोक सूचना अधिकारी से संबंधित हो तो प्रकरण अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत संबंधित को समयावधि में अन्तरण की कार्यवाही की जाकर नागरीक सेवा केन्द्र को भी सूचना दी जावें। उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना के संबंध में अधिनियम के अधीन फीस राशि का मांग पत्र यथा सम्भव शीघ्र समयावधि में जारी किया जाकर राशि जमा कराने हेतु आवेदक को सूचित किया जावे।

2 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत अनुरोध पत्र के चाहे अनुसार सूचना एवं दस्तावेज नियत समयावधि में आवेदक को उपलब्ध कराने में राज्य लोक सूचना अधिकारी विफल रहने या इस दौरान उनके द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध धारा 19(1) में अपील का प्रावधान है। उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलों में प्रथम अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णयानुसार नियत समयावधि में अपीलाण्ट को वांछित सूचना आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावें अन्यथा संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।

निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावें।

सचिव,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जाविप्रा, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, उप महानिरीक्षक पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (वित्त / विधि / आयोजना / अभियान्त्रिकी-I, II), जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त (पूर्व / भूमि / प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
6. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय / सिस्टम मैनेजमेन्ट), जविप्रा, जयपुर।
8. राज्य लोक सूचना अधिकारी, ..., जविप्रा, जयपुर।

संयुक्त आयुक्त
(आर.एम.एण्ड सी.)